



# जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक—जे०एन०सी०यू० / आर०कैम्प(सा०प्र०) / 999 / 2019

दिनांक: 04 नवम्बर, 2019

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक  
समस्त संबद्ध महाविद्यालय  
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय  
जनपद, बलिया

विषय: महाविद्यालय में विश्वविद्यालय से अनुमोदित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में महोदय/महोदया,

संज्ञान में आया है कि कतिपय महाविद्यालयों में जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया से अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम उसी परिसर में संचालित किये जा रहे हैं। जैसे : B.T.C. / B.ed. / A.N.M. / D.pharma आदि ।

साथ ही अन्य अनेक अवसरों पर इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि आपके महाविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में जो शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित किये गये हैं, वही शिक्षक देश एवं प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय में अनुमोदित एवं कार्यरत है। आप अवगत है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समय-समय पर "गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं नकल विहीन परीक्षा" की ओर समय-समय पर निर्देश दिये गये एवं महाविद्यालयों से उसका अक्षरशः अनुपालन किये जाने की अपेक्षा की गयी है। महाविद्यालयों में अनुमोदित शिक्षक कार्यरत न होने से भारत सरकार एवं उ०प्र० शासन के लक्ष्य को हासिल किया जाना कदापि सम्भव नहीं होगा।

उक्त विसंगतियों की जाँच/निरीक्षण/परीक्षण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपके महाविद्यालय का कभी भी आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान उपर्युक्त अंकित विसंगति पाये जाने पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) एवं विश्वविद्यालय अध्यादेश एवं परिनियमों में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना विश्वविद्यालय की बाध्यता होगी।

कृपया तदनुसार संज्ञानित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय कुमार)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. माननीय कुलपति जी
- ✓ 2. क्षेत्रीय उच्चशिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

(संजय कुमार)  
कुलसचिव